राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 819/2022

कृष्णा दाधिच **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णपुरी रैंकडी, वार्ड नं. 28, जयपुर शहर, जयपुर।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सुनिता विजय, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय (हिन्दी), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, न्यू कॉलोनी, बस्सी, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.03.2022
आदेश की दिनांक : 17.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से : श्री हरिनारायण भारद्वाज, अभिभाषक

समक्ष :– एम. एस. काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णपुरी राकडी, वार्ड नं. 28, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1986 में हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडा नयागांव, बूंदी में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, न्यू कॉलोनी, बस्सी,

जयपुर स्थानान्तरित किया गया था, जिसको चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6269/2021 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को दिनांक 15.12.2021 को स्थगित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ursewa, दूदू स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद किया गया है। जबकि प्रतिबंध प्रभावी होने के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं किए जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में किया गया है, जो अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण करते समय प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2022 अवैद्य एवं नियम विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने का निर्देश दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश प्रशासनिक अत्यावश्यकता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और नियोक्ता किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण जनहित में कहीं पर भी कर सकता है। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है। चूंकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 6, 24 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है और वर्ष 2013 से निरंतर प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रही है, जिसके आधार पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है।

उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी, सास एवं ससुर घरेलू परेशानियों एवं शारीरिक रूप से परेशान हैं, जिनकी देखभाल के लिए परिवार में निजी प्रत्यर्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। निजी प्रत्यर्थी के पति भी राजकीय सेवा में जयपुर में ही कार्यरत हैं। स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने के कारण खारिज फरमाई जाए।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णपुरी राकडी, वार्ड नं. 28, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में ऐसा कहीं पर उल्लेखित नहीं है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण करते समय प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुमति ली गई हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध प्रभावी होने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थानान्तरण प्रतिबंध की अवधि में किया गया है, जो अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है। अधिकरण द्वारा पारित किए गए स्थगन आदेश दिनांक 11.03.2022 का प्रावकाश किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम. एस. काला)
सदस्य